(GCF-3, MCF-1 & SCF-2)

DATE: 16.10.2019 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3 Hours**

BUSINESS LAW & BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

Question No. 1 is Compulsory. Answer any four question from the remaining five questions. Wherever necessary, suitable assumptions should be made and disclosed by way of note forming part of the answer.
Working Notes should from part of the answer.

Answer 1:

(a) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की **धारा 69** में यह प्रावधान है कि, ''जब एक व्यक्ति द्वारा भुगतान करने में उसका हित है'', तो दूसरा व्यक्ति कानूनी रूप से भुगतान करने के लिए दायी है और वह उसका भुगतान कर देता है तो वह दूसरे व्यक्ति से इसकी भरपाई करा सकता है। **{1 M}**

दिये गये प्रशन में W ने Z की कानूनी रूप से देय राशि का भुगतान किया जिसके भुगतान में उसका हित है। इसलिए W , Z से दी गई राशि की भरपाई करा सकता है। **{1 M}**

Answer:

(b) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 5(1) के अनुसार कम्पनी के अन्तर्नियम में कम्पनी के प्रबंधन के नियमन सम्बंधी प्रावधान होते है धारा 5(2) के अनुसार अन्तर्नियमों में ऐसे विषय भी शामिल होगे जो कि अधिनियम में बताये गये है एवं कम्पनी ऐसे अतिरिक्त विषय शामिल कर सकती है जो उसक प्रबंधन को आवश्यक प्रतीत हों। **{1 M}**

वकील अधिकारी को हटाया जाना – कम्पनी के पार्षद सीमानियम एवं अन्तर्नियम कम्पनी और उसके सदस्यों के लिए बाध्य होते है और वह इस बात के लिए बाध्य होते है कि इन प्रावधानों का जोकि पार्षद सीमानियम एवं अन्तर्नियम उन पर हस्ताक्षर किये होते हैं (धारा 10(1)। **{1 M}**

लेकिन कम्पनी औंर उसके सदस्य ऐसे किसी भी विषय जोकि उस कम्पनी के पार्षद सीमानियम एवं अन्तनिर्यमों के लिए वह किसी बाह्य व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होते है यह तथ्य उस सामान्य नियम पर आधारित है जिसके अनुसार किसी अनुबंध से असम्बन्धित व्यक्ति उस अनुबंध के अधीन किसी अधिकार को प्राप्त नहीं करता है। **{1 M}**

इस उदाहरण में अन्तर्नियमों ने एक्स को यह अधिकार प्रदान किया था कि उसे केवल सिद्ध किये गये दुष्कर्म के आधार पर ही सेवा से हटाया जायेगा। उपरोक्त में वैधानिक व्याख्या के आधार पर एक्स उसको अन्तर्नियमों द्वारा प्रदत्त अधिकार को कम्पनी से लागू नहीं करवा सकता है। इसलिए कम्पनी की कार्यवाही (एक्स का दुष्कर्म के बिना सिद्ध किये गये हटाया जाना) वैध है **(ऐली बनाम वी. पोजिटिव गवर्नमेन्ट सिक्योरिटी लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी**, जनरल मैनेजर शान्ता शमशेर जंग बनाम कमानी ब्रॉदर्स प्राईवेट लिमिटेड) **{2 M}**

Answer:

(c) उपरोक्त मामला वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 50 से संबंधित है। जो अदत्त विक्रेता के माल को मार्ग में रोकने के अधिकार पर व्याख्या करता है।

धारा 50 के अनुसार अदत्त विक्रेता द्वारा माल को मार्ग में निम्नलिखित परिस्थिति में रोका जा सकता है।

- विक्रेता अदत्त हो,
- वस्तु पर उसका कब्जा ना हो,
- वस्तु मार्ग में हो,
- क्रेता दिवालिया हो गया हो,
- यह अधिकार, अधिनियम के अनुसार हो।

{1 M for each correct 4 points}

उपरोक्त धारा 50 के अनुसार राम 100 कपड़ों की गांठों पर जो रेलवे द्वारा भेजी गयी हैं पर माल का मार्ग में रोकने के अधिकार को प्रयोग कर सकता है। **{1 M}**

Answer 2:

(a) सीमित दायित्व साझेदारी के समामेलन के चरण (Steps to Incorporate LLP)

1. नाम उपलब्धिता (Name Reservation) :–
   - (a) पहला कदम सीमित दायित्व साझेदारी के नाम का आरक्षण है।
   - (b) नाम की उपलब्धिता के एिल आवेदन e-form 1 में रजिस्ट्रार के पास फाईल किया जाता है। {2 M}
2. सीमित दायित्व साझेदारी का समामेलन (Incorporation) :–
   - (a) सीमित दायित्व साझेदारी के समामलेन के लिए e-form 2 रजिस्ट्रार के पास फाईल होगा।
   - (b) e-form 2 में सीमित दायित्व साझेदारी के विवरण, साझेदार, अभिहित साझेदार, उनकी सहमति आदि दिये जाते है। {2 M}
3. सीमित दायित्व साझेदारी समझौता (LLP Agreement) :–
   - (a) सीमित दायित्व साझेदारी समझौता निष्पादित किया जायेगा।
   - (b) यह समामेलन के 30 दिनों के भीतर e-form 3 में रजिस्ट्रार के पास फाईल किया जायेगा। {2 M}

Answer:

(b) मि. डी की स्थिति– मि. डी. ने कुछ माल मि. ई. को 5 लाख रुपये में 15 दिन की उधारी पर बेचे। मि. डी ने माल की सुपुर्दगी दी, पर मि. ई. ने भुगतान से मना कर दिया। मि. डी. अदत्त विक्रेता बन गये। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 45 के अनुसार उधार अवधि बीत जाने के बाद यदि क्रेता द्वारा मूल्य का भुगतान ना किया जाए तो विक्रेता, अदत्त विक्रेता कहलाएगा और निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे, श्री E के विरूद्धः {2 M}

(1) मूल्य के भुगतान के लिए श्री E पर वाद किया जा सकता है।

(2) वस्तु यदि श्री E द्वारा अस्वीकार कर दी जाती है तो श्री D को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वाद किया जा सकता है।

(3) मूल्य पर ब्याज के लिए भी वाद किया जा सकता है। {1 M Each}

नोटः श्री D वस्तु के विरूद्ध अपने किसी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते व वस्तु का कब्जा श्री E को प्राप्त हो चुका है। {1 M}

Answer 3:

(a) साझेदारी में अवयस्क की स्थिति (Minor's Position In Partinership):– एक अवयस्क एक फर्म में साझेदार नहीं बन सकता, परन्तु उसे सब साझेदारों की सहमति से लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए अधिनियम में धारा 30 के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। {1 M}

अधिकार (Rights) :–

- यह अवयस्क को पूर्व निर्धारित भाग के लाभ तथा फर्म की सम्पत्ति में भाग प्राप्त करने का अधिकार है।
- वह फर्म के हिसाब किताब का निरीक्षण कर सकता है और उसकी प्रति (copy) प्राप्त कर सकता है।
- वह साझेदारों पर हिसाब–किताब हेतु अथा उसे देय भाग के भुगतान के लिये केवल उस स्थिति में मुकदमा कर सकता है, जब वह फर्म से अपने सम्बन्ध विच्छेद कर रहा हो अन्यथा नहीं।
- वयस्कता ग्रहण करने के छः माह के भीतर वह साझेदार बना रहे अथवा नहीं बना रहने का निर्णय कर सकता है। यदि वह साझेदार बनने का निर्णय लेता है तब फर्म की सम्पत्ति एवं लाभ में उनका हिस्सा वही रहता है, जो अवयस्कता की अवधि में था। यदि वह साझेदारी फर्म से अलग होने का निर्णय लेता है, तो जिस दिन वह सार्वजनिक सूचना देता है, उसके बाद वह फर्म के किसी कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

{1/2 M Each}

दायित्व (Liabilities) :–

- अवयस्क का दायित्व फर्म की सम्पत्ति तथा लाभों के केवल उसके भाग की सीमा तक सीमित रहता है।
- उसका उसकी अवयस्कता के दौरान किये गये फर्म के ऋणों के लिए कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता।
- अवयस्क को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि फर्म को दिवालिया घोषित किया जाता है, तो फर्म में उसका भाग सरकारी प्रापक/हस्तान्तरी में निहित होता है।
- उसके वयस्क होने के 6 माह के भीतर या उसको इस बात की जानकारी होने कि उसको साझेदारी के लाभों में सम्मिलित कर लिया गया है, जो भी तिथि बाद में आये, अवयस्क साझेदार को यह निर्णय लेना होता है कि क्या वह एक साझेदार रहेगा या फर्म को छोड़ेगा। यदि वह ऐसा नोटिस देने में भूल करता है, तो वह उक्त 6 माह के बीतने के बाद फर्म का एक साझेदार बन जायेगा।
- वह **साझेदारी के लाभों में शामिल किये जाने के बाद** किये गये फर्म के सभी कार्यो के लिए तृतीय पक्षकारों के प्रति व्यक्तिगत तौर पर दायी हो जाता है।
- यदि वह साझेदार नहीं बनने का चयन करता है, तो उसके अधिकार तथा कर्त्तव्य ऐसी सार्वजनिक सूचना देने की तिथि तक ठीक वैसे ही चलेंगे जैसे एक अवयस्क के रूप में रहे है। उसका भाग नोटिस की तिथि के बाद किये गये फर्म के किसी भी कार्य के लिए दायी नहीं होगा।

{1/2 M Each}

वह सम्पत्ति तथा लाभों में अपने भाग के लिए अन्य साझेदारों पर वाद दायर करने के लिए अधिकृत होगा। उल्लेखनीय है कि ऐसा अवयस्क रजिस्ट्रार को नोटिस देगा कि वह एक साझेदार बन गया है या साझेदार नहीं बना है।

Answer:

(b) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अनुसार यदि कोई अनुबंध व्यापार या व्यवसाय को प्रतिबन्धित करता है तो ऐसा अनुबंध शून्य एवं अवैध होगा, परन्तु सेवा अनुबंध में यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी बन्धन पर सहमत है कि जब तक वह वहां पर सेवारत है वह अपने नियोक्ता की प्रतिस्पर्धा में कोई कार्य नहीं करेगा और परोक्ष या अपरोक्ष रूप में कहीं और सेवा नहीं करेगा और ऐसा प्रतिबंध या रोक व्यापार या व्यवसाय पर रोक नहीं मानी जाएगी **{2 M}**

इसलिए X को लुधियाना में डॉक्टर के रूप में कार्य करने से रोका जा सकता है। **{1 M}**

Answer:

(c) इस प्रश्न में पूछी गयी समस्या वैध अनुबंध की मूल आवश्यता पर आधारित है वैध अनुबंध की मूल आवश्यताओं के अनुसार कोई भी अनुबंध ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अवैधानिक हो तथा अवैध हो या शून्य हो। अवैध अनुबंध का कोई वैधानिक या कानूनी प्रभाव नहीं होता है इसलिए कोई अनुबंध जो किसी व्यापार, विवाह या किसी वैधानिक कार्यवाही पर किसी प्रकार की रोक लगाता है वह अनुबंध शून्य और अवैध होगा। **{2 M}**

इसलिए मि. X. मि. सेठ द्वारा किए गए वायेद के रू. 5 लाख वसूल नहीं कर सकता है क्योंकि उन्हीं में एक अवैध अनुबंध किया था जिसे किसी न्यायालय से लागू नहीं करवाया जा सकता है। यह लोकनीति के विरूद्ध होने के कारण व्यर्थ है। **{1 M}**

Answer 4:

(a) मार्गस्थ माल को रोकने का अधिकार समाप्त हो जाता है जब मार्गस्थ समाप्त हो जाता है। निम्नलिखित मामलों में मार्गस्थ समाप्त हो जाता है–

- जब केता या अन्य निक्षेपगृहीता सुपुर्दगी प्राप्त कर लेता है।
- केता माल के गन्तव्य तक पहुॅचने से पूर्व ही सुपुर्दगी प्राप्त कर लेता है।
- जहॉ वाहक या अन्य निक्षेपगृहीता केता को या उसके एजेन्ट के समक्ष स्वीकार करता है कि वह माल को धारण करता है, जैसे ही माल को जहाज पर लोड किया जाता है, जब तक कि विकेता ने माल के निपटान के अधिकार को आरक्षित नहीं किया है।

{1 M for each correct 6 points}

- यदि वाहक गलती से क्रेता को माल सुपुर्द करने से ना करता है।
- जब माल क्रेता द्वारा रखे गये वाहक को सुपुर्द किया जाता है तो मार्गस्थ समाप्त हो जाता है।
- जहॉ माल की आंशिक सुपुर्दगी क्रेता को की जा चुकी हो तो मार्गस्थ समाप्त हो जायेगा, शेष माल के लिए जो अभी तक प्रेषण के दौरान है।
- जहॉ माल को क्रेता द्वारा चार्टर्डशिप को सुपुर्द कर दिया जाता है, तो मार्गस्थ समाप्त हो जाता है। (धारा 51)।

Answer:

(b) एक साझेदार को साझेदारी फर्म से तब तक नही निकाला जा सकता जब तक धारा 33 की शर्तो का पालन न कर लिया गया हो। जिसके अनुसार :–

a. साझेदारी संलेख में निष्कासन का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए।
b. निर्णय बहुमत द्वारा लिया जाना चाहिए।
c. निर्णय सद्विश्वास में फर्म की हित में होना चाहिए।
d. निकाले जाने वाले साझेदारे उचित सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। **{3 M}**

– इस मामले अनिल द्वारा उठाई गई आपत्ति उचित है क्योंकि:–

a. साझेदारी संलेख में निष्कासन का कोई उचित प्रावधान नही है।
b. नए साझेदार अभिषेक को प्रवेश नही कराया जा सकता जब तक सभी साझेदारों की सहमति ना ले ली गई हो। इस मामले में अनिल की सहमति नही ली। इसलिए अभिषेक को साझेदार बनाने पर अनिल की उठाई गई आपत्ति सही है। **{1 M Each}**

Answer 5:

(a) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(d) के अनुसार भारत में यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिफल पक्षों द्वारा ही दिया जाए, यह किसी अन्य व्यक्ति, यहॉ तक कि अनुबंध के लिए अजनबी व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। **{2 M}**

यह समस्या **<u>चिन्नैया बनाम रम्मैया</u>** के विवाद पर आधारित है जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि यह आवश्यक नहीं कि प्रतिफल आवश्यक रूप से पक्ष द्वारा स्वयं दिया जाये, यह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। इस समस्या में भी यही कारण लागू होता है। **{2 M}**

अतः M कथित राशि N को देने के लिए बाध्य है तथा अपने दायित्व को इस आधार पर मना नहीं कर सकती कि प्रतिफल N द्वारा नहीं दिया गया। **{1 M}**

Answer:

(b) **कम्पनी के आवरण का सिद्धान्त (Corporate Veil theory) :–** कम्पनी की अपने सदस्यों से अलग भी एक पहचान होती है। जिसे प्रथक वैधानिक अस्तित्व कहते है। सदस्य कम्पनी के गलत कार्यो के प्रति जिम्मेदार नही है। यदि कम्पनी कानुनों का उल्लंघन करती है। तो सदस्य उसके लिए जिम्मेदार नही है। कम्पनी अलग है और सदस्य अलग है।

Case Law : Saloman V. Salomon & Co. Ltd.

कम्पनी और सदस्यों के मध्य एक काल्पनिक पर्दा होता है। जिसके कारण एक अंशधारी जिसके पास कम्पनी के अधिकांश अंश क्यों ना हो कम्पनी के गलत कार्यो के प्रति जिम्मेदार नही है। इसे कम्पनी के आवरण का सिद्धान्त कहते है। **{2 M}**

कम्पनी को बेनकाब करना (अपवाद):– न्यायालय निम्न परिस्थितियों में कम्पनी को बेनकाब कर सकता है:–

(1) कम्पनी के वास्तविक चरित्र के निर्धारण के लिए :– यह पता लगाने के लिए कि कम्पनी मित्र कम्पनी है या शत्रु कम्पनी न्यायालय कम्पनी को बेनकाब कर सकता है।
डेमलर कम्पनी लिमिटेड बनाम कॉन्टीनंटल टायर एण्ड रबर कम्पनी
इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि कम्पनी को शत्रु कम्पनी माना जाएगा। यदि उस कम्पनी का नियंत्रण करने वाले व्यक्ति शत्रु देश के निवासी हो या वह शत्रु देश के संकेतों के अनुसार कार्य करते हो। यहॉ पर न्यायालय कम्पनी को बेनकाब कर सकता है। **{1 M}**

(2) **राजस्व की सुरक्षा/कर की सुरक्षा के लिए :–** यदि कम्पनी का निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया है। कि राजस्व करो के भुगतान से बचा जा सके। तो न्यायलय कम्पनी को बेनकाब कर सकता है।
वादः– Sir Dinshaw manek ji petit case
D कई कम्पनीयों का अंशधारी था। उसे लाभांश या ब्याज के रूप में काफी आय प्राप्त होती थी। राजस्व के भुगतान से बचने के लिए उसने 4 कम्पनिया बनाई जिनका खुद का कोई व्यवसाय नही था D इन कम्पनीयों में लाभांश व ब्याज कि राशि अंतरित कर देता था।
न्यायालय ने कम्पनी को बेनकाब किया और कहा कि D को राजस्व का भुगतान करना पडेगा। **{1 M}**

(3) **वैधानिक दायित्वो से बचने के लिए :–** यदि कम्पनी का निर्माण कल्याणकारी कानूनो से बचने के लिए किया गया है। जिससे कर्मचारियों को बोनस का भुगतान ना करना पडे तो न्यायालय कम्पनी को बेनकाब कर सकता है।
वादः– एसोसियेटेड रबर इंडस्ट्रीज लि. के कर्मचारी बनाम एसोसियेटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
इस कम्पनी ने एक सहायक कम्पनी बनाई। जिसमें वह अपना लाभ अंतरित कर देती थी। जिससे उसे कर्मचारियों का बोनस पी.एफ., ग्रेचुइटी आदि का भुगतान ना करना पडे। उस सहायक कम्पनी का खुद का कोई व्यवसाय नही था। न्यायालय ने कम्पनी को बेनकाब किया और कहॉ कि आपको श्रम कल्याणकारी प्रावधानों का पालन कना पडेगा। **{1 M}**

(4) **यदि सहायक कम्पनी का निर्माण ऐजेन्सी के रूप में किया गया हो। :–** इस मामले में न्यायालय कम्पनी को बेनकाब कर सकता है।
Merchandise Transport Ltd. V British Transport commission:- एक यातायात कम्पनी अपने वाहनो के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहती थी। परन्तु वह स्वयं के नाम से आवेदन नही दे सकती थी। उस कम्पनी ने एक सहायक कम्पनी बनाई। और लाईसेंस के लिए आवेदन दिया।
न्यायालय ने निर्णय दिया कि सुत्रधारी और सहायक कम्पनी दोनो एक है और आवेदन को रद्द कर दिया गया। **{1 M}**

(5) **कपट या अनुचित आचरण की रोकथाम के लिएः–** यदि न्यायालय को इस बात को संदेह हो कि कम्पनी का निर्माण कपटपूर्ण अथवा अनुचित आचरण करने के लिए किया गया है तब न्यायालय कम्पनी को बेनकाब कर सकता है। Gilford moter Ltd. V Horne.
H इस कम्पनी का कर्मचारी था जिस पर प्रतिबंध था कि वह कम्पनी छोडने के बाद कम्पनी के ग्राहको को नही तोडेगा। H ने कम्पनी के ग्राहको को ताडने के लिए एक कम्पनी बनाई।
न्यायालय ने कहा कि H और उसकी कम्पनी एक ही है। जो काम H प्रत्यक्ष रूप से (कम्पनी के माध्यम से) भी नही कर सकता है। **{1 M}**

Answer 6:

(a) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 41 के अनुसार जब वचनग्रहीता एक वचन का निष्पादन किसी तीसरे पक्ष से स्वीकार कर लेता है तो वह वाद में वचनदाता के विरूद्ध इसे लागू नहीं कर सकता। अन्य शब्दों में, वचनग्रहीता द्वारा अजनबी से निष्पादन स्वीकार करना अनुबंध के वचनदाता को मुक्त कर देता है, यद्यपि वचनदाता ने न तो तीसरे पक्ष के कार्य को अधिकृत किया था और न ही इसका पुष्टिकरण किया था। **{3 M}**
इसलिए B, A पर केवल (10,000 – 6,000) रू. 4,000 के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। **{1 M}**

Answer:

(b) हॉ। एक अनुबंध का निष्पादन आवश्यक नहीं है जब पक्ष इसके स्थान पर दूसरा अनुबंध करें अथवा इसे रद्द करे अथवा इसमें परिवर्तन करें (भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 62) दी गई समस्या में अनुबंध का नवीनीकरण होने के कारण पुराना अनुबंध समाप्त हो गया है, क्योंकि एक पक्ष का स्थान किसी तीसरे पक्ष ने ले लिया है। **{2 M}**
इस कारण से N, O से राशि वसूल कर सकता है। **{1 M}**

Answer:

(c) हाऊस ऑफ लॉर्ड **सैलोमन बनाम सैलोमन लि.** में निर्णय दिया कि कम्पनी अपने सदस्यों से अविच्छिन्न तथा पृथक है तथा इसलिए इसका अपने सदस्यों से, जिन्होंने कम्पनी का गठन किया है। स्वतंत्र, पृथक कानूनी अस्तित्व है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में न्यायालय निगमित अवारण को उठा सकता है। इसका अर्थ है निगमित आवरण के पीछे झॉकना तथा निगमित अस्तित्व को नहीं मानना जहॉ कम्पनी का निर्माण तथा निगमन कुछ व्यक्तियों द्वारा निगमित प्रकृति के पीछे शरण लेकर करों की चोरी करना है वहॉ न्यायालय करों की चोरी के मामले में निगमित अस्तित्व की अवमानना करें। **{2 M}**

(1) प्रश्न में पूछी गई समस्या उपर्युक्त तथ्यों पर आधारित है। करदाता ने तीन कम्पनियों का गठन करों की चोरी करने के लिए किया था तथा कम्पनियॉ करदाता से अलग कुछ भी नहीं थी। इसलिए F का इरादा कर की चोरी करने के इरादे से तीन भागों में बॉटने का था। **{$1^{1/2}$ M}**

(2) तीन निजी कम्पनियों के कानूनी व्यक्तित्व की अवमानना की जा सकती है क्योंकि इनका निर्माण केवल करां की चोरी करने के लिए किया गया था तथा कम्पनी करदाता से अधिक कुछ नहीं थी। उन्होंने कोई व्यापार नहीं किया, लेकिन केवल ब्याज तथा लाभांश की आय को प्राप्त करके उसे करदाता को कल्पित ऋण के रूप में वापस करना था। ऐसा निर्णय **सर दिनशॉ मानेकजी पेटिट** AIR 1927 बम्बई 371. **{$1^{1/2}$ M}**

PAPER : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING

The Question Paper comprises of 5 questions of 10 marks each.
Question No. 7 is compulsory. Out of questions 8 to 11, attempt any three.

SECTION-B : BUSINESS CORRESPONDENCE & REPORTING (40 MARKS)

Answer 7:

(a) Passage

1. (c)
2. (d)
3. (c)
4. (c)
5. a. Parameters
   b. Monitoring

{1 M each}

Answer:

(b) 1. **Vertical Network:**

The vertical network is a formal network. It is usually between a higher ranking employee and a subordinate. In this two-way communication, immediate feedback is possible.

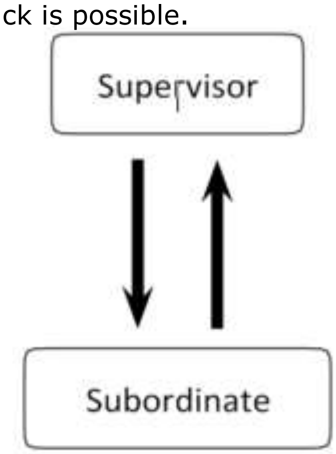

Vertical Network

{$1^{1/2}$ M}

2. **Circuit Network:**

When two persons communicate with each other sending messages and feedback, they form a communication circuit. Therefore it is known as circuit network. The two people interacting can be colleagues placed at the same hierarchical level in the organization.

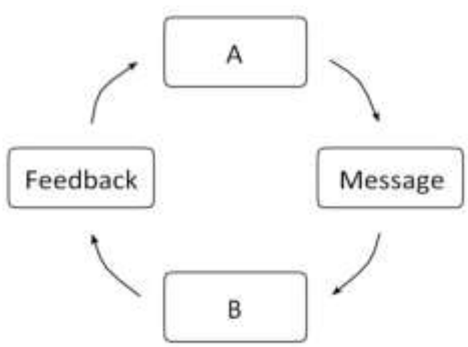

Circuit Network

{$1^{1/2}$ M}

Answer:

(c) 1. Jump on the bandwagon – an activity, group, movement, etc. that has become successful or fashionable and so attracts many new people

2. Beat a dead horse – to waste effort on something when there is no chance of succeeding

{1 M each}

Answer 8:

(a) The Fearless Indian Army

The Indian army is undoubtedly one of the finest armies in the world. Since prehistoric to modern times the Indian soldiers are one of bravest, fighting both for homeland as well as for ensuing peace even on foreign lands such as peace keeping force in Sri Lanka.

Our soldiers never surrendered before enemies. Their motto has always been 'do or die'. During Indo- china war of October – November, 1962 and later on in the Indo-Pak war of September 1965, one Indian Soldier killed many soldiers of enemy armies on various fronts. During the World war II the Indian soldiers proved their mettle on the foreign land of Europe' Africa and the Korea on various missions. **{2 M}**

The Indian army has proved their superiority whenever the neighboring country Pakistan challenged us. The Kargil war In 1999 was triggered by the spring and summer incursion of Pakistan backed armed forces into territory on the Indian side of the LOC around Kargil in State of Jammu & Kashmir. The Indian forces were prepared for a major high altitude offensive against Pakistani posts along the border in the Kashmir region. India had to move five infantry divisions, five independent brigades and 44 battalions of paramilitary troops to Kashmir. The total Indian army troop strength in the region reached to 7,30,000. The build-up included the deployment of around 60 frontline aircraft. The Indian army campaign to repel the intrusion left 524 Indian soldiers dead and 1,363 wounded, as per the data released by then Indian defense minister Shri George Fernandez on December 01, 1999. **{3 M}**

Answer:

(b) 1. **Concrete:** The content of your communiqué should be tangible. Base it on facts and figures. Abstract ideas and thoughts are liable to misinterpretation. Make sure that there is just sufficient detail to support your case/ argument and bring focus to the main message. **{1$^{1/2}$ M}**

2. **Coherent:** Coherence in writing and speech refers to the logical bridge between words, sentences, and paragraphs. Main ideas and meaning can be difficult for the reader to follow if the writer jumps from one idea to another and uses contradictory words to express himself. The key to coherence is sequentially organized and logically presented information which is easily understood. All content under the topic should be relevant, interconnected and present information in a flow. **{1$^{1/2}$ M}**

Answer:

(c) 1. (d) Boisterous

2. (a) Colossal

{1 M each}

Answer 9:

(a) Précis

Education for handicapped children **{1 M}**

Education opportunities for handicapped children are sparse as compared to the normal children. Expenditure on their education is treated as a wastage and rather non-productive. The view that education for handicapped requires higher costs and specialized people has led to discouragement towards development of measures **{2 M}**

towards the same. The National Education Policy recommends integrating the education for handicapped with the normal children with the help of specialized teachers and other aids. Training of teachers and necessary infrastructure shall help the handicapped children and shall relieve their parents regarding worries about their education. **{2 M}**

Answer:

(b) Emotional Awareness and Control: "Human behavior is not under the sole control of emotion or deliberation but results from the interaction of these two processes," Loewenste in said.
However, emotions play a major role in our interactions with other people. They are a powerful force that affect our perception of reality regardless of how hard we try to be unbiased. In fact, intense emotions can undermine a person's capacity for rational decision-making, even when the individual is aware of the need to make careful decisions. **{$1^{1/2}$ M}**
Consequently, emotional awareness is a necessary element of good communication. While interacting with another person or a group, it is important to understand the emotions you and he/she/they are bringing to the discussion. Managing your own and others emotions and communicating keeping in mind the emotional state of others helps in smooth interaction and breakdown of the communication process. **{$1^{1/2}$ M}**

Answer:

(c) a. The asked his manager if he should email that letter again.
b. She asked me how I had done the sum. **{1 M each}**

Answer 10:

(a)

ABC Technopolis Ltd.
65, Nehru Nagar, New Delhi
Interoflce Memo **{1 M}**

Date : 25 July, 2016
To : Office Manager
From : Mr. Ashok Reddy, Purchase Officer
Reference : 216/BM
Subject : Purchase of Office furniture **{2 M}**

As desired, the order for the supply of office furniture (chairs and tables, sofa sets) has been placed with Shivshakti Furniture Mart, Kirbi place, New Delhi. The chairs and tables will be supplied in multiple lots. The order will be completed in ten days. **{2 M}**

Answer:

(b) Cultural barriers: Understanding cultural aspects of communication refers to having knowledge of different cultures in order to communicate effectively with cross culture people.. Understanding various cultures in this era of globalization is an **{1 M}** absolute necessity as the existence of cultural differences between people from various countries, regions tribes and, religions, where words and symbols may be interpreted differently can result in communication barriers and miscommunications. Multinational companies offer special courses and documents to familiarize their staff with the culture of the country where they are based for work. **{2 M}**

Answer:

(c) 1. The country is covered by the corporation's sales and service organization.
2. Their new dental equipment is only being marketed by FCS in Europe. **{1 M each}**

Answer 11:

(a)

Mohit Agarwal
36, Civil Lines
Meerut, UP
Phone: 98XXXXXXXX
Email: abc@xyz.com **{1 M}**

Objective:

To be associated with an organisation that offers tremendous opportunities for growth and autonomy, providing a challenging environment to harness my creative streak, innovative ideas and utilise my experience as a media correspondent to the maximum. **{1 M}**

SUMMARY:

- One year of experience as a staff correspondent in CVB TV.
- Two years of experience as Head Regional News XYZ TV
- Proven skills in content planning, selection and presentation.
- Excellent Reporting skills in English and Hindi.

{1/2 M}

EXPERIENCE:

2016 – PRESENT Head Regional News XYZ TV Meerut

- Planning and deployment of staff correspondents
- Sponsorship Planning from corporate and media houses
- Staff selection and Training
- Media Planning for regional corporate houses

2015– 2016 Staff Correspondent CVB TV

- Capturing Events
- Conceptualising stories
- Presenter for "Khufia" section of Daily News

{1/2 M}

EDUCATION:

2014 Masters in Mass Comm, ASD University, New Delhi
2012 English(H), ASD University, New Delhi
INTERNSHIPS:
2014 Two month at World Journalists Association (Articles Section)
2013 4 months at CNN TV in News production and planning

{1/2 M}

SKILLS

- Well versed with Media Software's
- Meticulous Planning and Execution skills with an eye for detail

{1/2 M}

PERSONAL DETAILS

Date of Birth 15 June, 1992
Marital Status Unmarried
Languages Known English, Hindi

{1/2 M}

DECLARATION

I solemnly declare that all the above information is correct to the best of my knowledge and belief.

Date: Nov 13, 2018
Place: Meerut (Mohit Agarwal)

{1/2 M}

Answer:

(b) **Attitude barriers-** Personal attitudes of employees can affect communication within the organization. A proactive, motivated worker will facilitate the communication **{1 M}**

process, whereas a dissatisfied, disgruntled, shy, introvert or lazy employee can delay, hesitate in taking the initiative, or refuse to communicate. Attitude problems can be addressed by good management and regular interaction with staff members. **{2 M}**

Answer:

(c) a. The crowd was cheering the man who saved the child from the burning house.

b. The police booked seven movie goers in the city for disrespecting the national anthem.

{1 M each}

***